भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2702 का उत्तर

'मेरी सहेली' अभियान की पहलें

2702. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल परिसरों में असुरक्षित बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, चेहरा पहचानने की प्रविधि और चाइल्ड हेल्प डेस्क (सीएचडी) जैसे उपायों की प्रभावोत्पादकता का आकलन किया है;

(ख) 'मेरी सहेली' अभियान की वर्तमान स्थिति क्या है और रेलवे में अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा पर उक्त पहल का क्या प्रभाव हुआ है तथा भविष्य में इसके विस्तार की क्या योजनाएं हैं;

(ग) क्या महिला और बाल विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच एएचटीयू की स्थापना में तेजी लाने के लिए सहयोगात्मक पहल चल रही है और यदि हां, तो इन पहलों की प्रकृति क्या है और इन्हें पूरा करने के लिए लक्षित समय-सीमा क्या है; और

(घ) प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क के राष्ट्रव्यापी विस्तार के लिए अनुमानित समय-सीमा क्या है और ऐसे कितने स्टेशन हैं जहां ऐसे डेस्क पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): रेल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई रेलवे स्टेशनों और सवारी डिब्बों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम चेहरे की पहचान हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही, बच्चों देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत के लिए भारतीय रेल के विभिन्न स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।

ये सीसीटीवी रेल परिसर में मासूम बच्चों और महिलाओं की पहचान करने और उन्हें ज्यादा प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाने में मददगार साबित हुए हैं।

(ख): भारतीय रेल नेटवर्क पर 17.10.2020 को मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य लंबी दूरी वाली गाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान अर्थात् आरंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक बेहतर सुरक्षा प्रदान करना था। वर्तमान में महिला आरपीएफ कर्मियों वाली 250 मेरी सहेली टीमें तैनात की जा रही हैं, जो औसतन प्रतिदिन 488 गाड़ियों और अकेले यात्रा करने वाली 12900 महिलाओं की देखभाल करती हैं। यह प्रयास महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस कराने में मददगार रहा है।

(ग): मानव तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई सुदृढ़ करने के लिए, रेल सुरक्षा बल ने भारतीय रेल में चौकी (थाना) स्तर पर 750 से अधिक मानव तस्कर रोधी इकाइयाँ स्थापित की हैं। साथ ही, गृह मंत्रालय भी रेल सुरक्षा बल के प्रयासों में सहायता कर रहा है और इन मानव तस्कर रोधी इकाइयों को मजबूत करने के लिए 12.6 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये मानव तस्कर रोधी इकाइयों पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के मानव तस्कर रोधी इकाइयों के साथ समन्वय करते हैं जो जिला स्तर/राज्य स्तर/अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कार्य करते हैं और आसूचना इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कानून के अनुसार तस्करों पर समन्वित प्रभावी कार्रवाई करते हैं।

(घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक केंद्र प्रायोजित योजना "मिशन वात्सल्य योजना (एमवीएस)" लागू की है, जिसके तहत जिलों की चाइल्ड हेल्प डेस्क की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी होगी। भारतीय रेल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रेलवे ने चाइल्ड हेल्प डेस्क की स्थापना के लिए जगह उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 135 रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क की स्थापना को अंतिम रूप दे दिया है और रेलवे ने इसके संचालन के लिए जगह उपलब्ध करा दी है।

******